# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

## अष्टम् सत्र

## वीरवार, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937(शक्)

## 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 26 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2013 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री जी0एस0बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य (इंजिनियरिंग), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)-ए(3)-29/2012 दिनांक 29.03.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.04.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी(भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)-ए(3)3/2012 दिनांक 31.03.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.04.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्रवक्ता, वास्तुकला(बहुतकनीकी) वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)ए(3)5/2011 दिनांक 04.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक निदेशक/प्राधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)ए(3)7/2012-पार्ट-1 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मशाला अधीक्षक(बहुतकनीकी), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)ए(3)4/2011 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.04.2014 को प्रकाशित ।

[(i) से (v) तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है।]

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

## 3. विधायी कार्य :

## सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

**श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करने और नियमितिकरण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

## 4. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

**"संकल्प"**

(गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूची संलग्न है)

**शिमला-171 004** **सुन्दर सिंह वर्मा,**
**दिनांक: 08 अप्रैल, 2015** **सचिव ।**

********

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## गैर-सरकारी सदस्य कार्य

## 'संकल्प'

## अष्टम् सत्र

वीरवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूची:

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | उद्धरण |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती आशा कुमारी: | "This House resolves that a master plan be drawn up for the entire State to earmark & construct parking's at district headquarters and places of religious and tourist importance." |
| 2. | श्री सुरेश कुमार: | "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए ।" |
| 3. | श्री इन्द्र सिंह: | "यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए ।" |

**सचिव,**
विधान सभा।

******